

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अगस्त 2010—श्रावण 25, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच-(69).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबंध करती है कि किसी व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये आवेदन प्ररूप 6 में इलेक्ट्रॉनिक रीति में विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकेगा.

2. आवेदन उक्त नियमों के नियम 11 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा और उसके साथ दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे.

3. ऐसे व्यापारी से, जो इलेक्ट्रॉनिक रीति में आवेदन प्रस्तुत करता है, किसी अन्य रीति में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, किन्तु वह व्यापारी के कारबार के स्थान पर आने वाले रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिये आवेदन और उसके मूल संलग्नक देगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच-(69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच-(69), दिनांक 16 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 16th August 2010

No. F. A-3-14-2010-1-V-(69).—In exercise of the powers conferred by rule 11-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that an application for grant of registration certificate under Section 17 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) may be furnished by a dealer electronically in Form 6 through the official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. The Application shall be signed and verified and accompanied by the documents in accordance with the provisions of rule 11 of the said rules.

3. The dealer who furnishes the application electronically, shall not be required to furnish the application in any other manner, but he shall give the application and annexures thereto in original to the Registering Authority or an official authorised by him visiting place of business of the dealer to verify correctness of the particulars given in the application.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.